Rams- 2019/00094

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 30/19

दिनांकः— 17.06.2019

पीठासीन अधिकारीः— दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

आम जनता ग्राम बलेडी जरिये
1. रामरूप पुत्र गिर्राज
2. रामभरोसी पुत्र मांगीलाल
3. अमरसिंह उर्फ हरीया पुत्र श्रीलाल
4. जगदीश पुत्र पूरण
5. तारेश पुत्र रामखिलाडी
6. भरतसिंह पुत्र मलुवाराम
7. हररूप पुत्र बुद्धा उर्फ रामहेत
8. रज्जा उर्फ राजेन्द्र पुत्र श्रीलाल

समस्त जाति गूर्जर निवासी बलेडी तहसील टोडाभीम जिला करौली।

प्रार्थीगण

बनाम

1. रामबाबू पुत्र नारायण
2. शिवराम पुत्र नारायण
3. रामकिशोर पुत्र नारायण
4. शांति पत्नि नारायण
5. रूपन पुत्री नारायण
6. वेदराम पुत्र रामसिंह
7. राजेन्द्र उर्फ रामधन पुत्र हरज्ञान
8. धीरेन्द्र पुत्र राजेन्द्र
9. मेघसिंह पुत्र राजेन्द्र
10. जलसिंह उर्फ पप्पू पुत्र रामबाबू
11. भरतसिंह पुत्र रामसिंह
12. समस्त जाति गूर्जर निवासी बलेडी तहसील टोडाभीम जिला करौली।
13. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।
14. बैक ऑफ बडौदा शाखा बालघाट जिला करौली।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः— 1. श्री हंसराम गूर्जर एडवोकेट (प्रार्थीगण)
2. श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट (अप्रार्थीगण 1 ता 11)

निर्णय दिनांकः— 05.02.2020

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बलेडी स्थित भूमि हाल ख0न0 426/556 रकवा 1.26 है0 मे गैरसायल 1 ता 6 रिकार्डेड खातेदार है उक्त आराजीयात मे विगत सैकडो वर्षो पूर्व से ही भोले बाबा पीरबाबा के मंदिर बने हुये है तथा देवताओ की बगीची है जिसमे करीब 400 वृक्ष पीलू व छोकडे है तथा उक्त देवताओ को आम जनता ग्राम बलेडी पूजती है तथा उक्त देवताओ की बगीची मे से किसी भी वृक्ष को आम जनता नही काटती है भूमि वर्णित मे सैकडो वर्ष से देवताओ के मंदिर बने हुये है। तथा बगीची के रूप मे काम आ रहा है। जिस पर गैरसायल न0 1 ता 6 का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है ना ही आज है। उक्त आराजी से गैरसायलान या अन्य किसी व्यक्ति

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

का कोई संबध किसी प्रकार का नही रहा है। गैरसा[illegible] ता 6 गैरसायलान न0 7 ता 11 के सहयोग से भूमि को हडपना चाहते है। [illegible] भूमि से गैरसायलान का कोई सरोकार नही है। गैरसायलान न0 1 ता 6 अप[illegible] आई गलत खातेदारी का नाजायज फायदा उठाना चाहते है। सायलान का प्राईम[illegible] केश साबित है तथा सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष मे है अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायल को कोई क्षति नही है जबकि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही होने से सायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि आराजी ख0न0 426/556 रकवा 1.26 है0 स्थित ग्राम बलेडी मे बने देवस्थान व मंदिरो को नही हटावे तथा इस आराजी मे लगे पीलू व छोक[illegible] पेडो को नही काटे, आम जनता ग्राम बलेडी को पूजा अर्चना से नही रोके ऐसा को[illegible]ना तो स्वंय करे नाही किसी अन्य से करावे, जिससे हकूक आम जनता बलेडी पर [illegible] प्रभाव पडे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी न0 12, 13 बाबजूद सूचना उपस्थित नही होने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी न0 1 ता 11 की ओर से जरिये वकील जबाब पेश किया कि प्रार्थना पत्र सायलान द्वारा गैरसायलान के खिलाफ इस सम्माननीय अदालत मे प्रस्तुत करना स्वीकार है जिसमे सायलान को सफलता मिलने की संभावना नही है आराजी ख0न0 426/556 रकवा 1.26 है0 ग्राम बलेडी तहसील टोडाभीम मे गैरसायलान रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। सालयान द्वारा प्रार्थना पत्र मे समस्त कथन गलत मनगढंत व कपोल कल्पित अंकित कर दिये है उक्त आराजी गैरसायल न0 1 ता 6 तथा विद्या की खातेदारी व कब्जें की आराजी है जिससे सायलान या अन्य किसी भी व्यक्ति का कोई संबध किसी प्रकार का नही रहा है। महज गैरसायलान को हैरान परेशान करने की गरज से प्रार्थना पत्र पेश किया है उक्त आराजी मे देवताओ की बगीची नही रही है और नाही आम जनता ग्राम बलेडी पूजती है उक्त आराजी को गैरसायल न0 1 ता 6 व विद्या का उक्त आराजी पर खरीद के दिन से कब्जा चला आ रहा है। इस प्रार्थना पत्र के साथ दावा पेश करने से पूर्व आम जनता की ओर से अन्तर्गत आदेश 1 नियम 8 की पूर्ति नही की गई है इस बिना पर भी दावा खारिज योग्य है। दावे मे खातेदार विधा को पक्षकार नही बनाया गया है। इस प्रकार यह दावा मिस जोइन्डर ऑफ पार्टीज का नुक्स होने से खारिज योग्य है। सायलान की उक्त खातेदारी की आराजी मे एक दिशा मे ख0न0 432/651 रकवा 0.09 है0 किस्म गै0मु0 देव तथा एक तरफ ख0न0 426/650 रकवा 0.47 है0 गै0मु0 चरागाह है सायलान उक्त भूमि की आड लेकर गैरसायलान की आराजी से गैर सायलान को महरूम रखना चाहते है। इसलिये गैरसायलान द्वारा अपनी आराजी का सीमाज्ञान कराने हेतु तहसील कार्यालय मे सीमाज्ञान चालान भी जमा करा रखा है लेकिन दुर्भाग्यवश सीमा ज्ञान नही हो सका है। इस प्रकार सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। सायलान के वकील ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजीयात मे सैकडो वर्ष पूर्व से देवताओ के स्थान बने हुये है जिन्हे आम जनता ग्राम बलेडी पूजती है सायलान का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। सायलान इस भूमि को जबरदस्ती हडपना चाहते है। इसलिये सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को को अस्थाई निषेधाज्ञा से तादावा फैसला पाबन्द फरमाया जावे कि आराजी मे बने हुये देवस्थान व मंदिरो को नही हटावे तथा भूमि मे लगे पीलू व छोकड के पेडो को नही काटे और आम जनता को पूजा अर्चना से नही रोके।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

गैरसायलान वकील ने जवाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि वर्णित आराजीयात मे गैर सायलान खातेदार काश्तकार है। गैर सायलान के पिता ने पूर्व खातेदार जोहरी पुत्र चिरमोली से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वर्ष 1988 मे ख0न0 125/2/24 रकवा 5 बीधा क्रय किया था जिसका नवीन ख0न0 426/556 रकवा 1.26 है0 कायम हुये है। खरीद के दिन से ही गैर सायलान पिता के समय से ही काविज काश्त है। सायलान का उक्त विवादित आराजीयात से कोई संबध किसी प्रकार से नही है। सायलान ने गैर सायलान की उक्त आराजीयात के लगी हुई सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा है अब गैर सायलान की जमीन पर भी कब्जा करना चाहते है। इसलिये सायलान, गैरसायलान को काश्त मे व्यवधान कर रही झाडियो को हटाने से नही रोके। सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेघाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

विद्वान वकीलो की बहस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए तीन बिन्दुओ को तय किया जाना होता है।

प्रथम दृष्टया प्रकरणः– पत्रावली मे सलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 91 मे अंकित खसरा नम्बर 426/556 रकवा 1.26 है0 ग्राम बलेडी की खातेदारी गैरसायलान के नाम दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी ग्राम बलेडी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 91 मे ख0न0 426/556 रकवा 1.26 है0 मे गैर सायलान हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार है। विक्रय पत्र दिनांक 14.12.1988 के अनुसार जौहरी पुत्र चिरमोली जाति राणा निवासी बलेडी ने अपनी खातेदारी की आराजी ख0न0 125/2/24 रकवा 5 बीधा का विक्रय नारायण पुत्र घीस्या एवं वेदराम पुत्र रामसिंह जाति गूर्जर निवासी बलेडी को कब्जा करा दिया है। मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043 से 62 के अनुसार साबिक ख0न0 125/2/24 रकवा 5 बीधा से नवीन ख0न0 426/556 रकवा 1.26 है0 बनना साबित है। सायलान रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। सायलान की ओर से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है, जिससे यह साबित होता हो कि सायलान का उक्त आराजीयात से संबध रहा हो। इस प्रकार यह प्रकरण प्रथम दृष्टया सायलान के पक्ष मे नही है।

सुविधा का संतुलनः– खातेदारी गैर सायलान के नाम से दर्ज होने से सद्भावी काश्तकार होने से सुविधा का संतुलन गैर सायलान के पक्ष मे है। सायलान के पक्ष मे नही है।

अपूर्तनीय क्षतिः– गैर सायलान जो कि रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, यदि गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो गैर सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी। जबकि सायलान को किसी प्रकार की अपूर्तनीय क्षति नही होगी।

उक्त विवेचन के आधार पर सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय उपजिलाधिकारी टोडाभीम (करौली) राज०

05/2/2020

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.02.11 15:44:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: